

कार्यालय कलेक्टर (विकास) सिवनी म.प्र.


//आदेश//

क्रमांक/ 2189 /पंचा.प्रको./जि.पंचा./2020

दिनांक 25/03/2020

जिले में कोरोना वाइरस के व्यापक संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। जिले की ग्राम पंचायतों में जिले के बाहर से आये व्यक्तियों को 14 दिवस अपने ही घरों में रहने हेतु निर्देशित किया गया है ग्राम पंचायत के सचिव /ग्राम रोजगार सहायक ये सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्ति अपने घरों में ही रहे, इसके पश्चात भी ऐसा कोई व्यक्ति घर से अन्यत्र/बाहर मिले या घूमता दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करे

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे अन्यथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव /ग्राम रोजगार सहायक विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
जिला सिवनी

पृष्ठां क्रमांक 2189 /पंचा.प्रको./जि.पंचा./2020

दिनांक 25/03/2020

1. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त).....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. थाना प्रभारी समस्तकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. ग्राम पंचायत सचिव /ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायतजिला सिवनी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जारी किये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे।


कलेक्टर
जिला सिवनी